न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 176/20(2020/00284)

अनवान :

मदन पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)

– वादी

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ धर्मपाल पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— वकील श्री पवन सिहाग : वादी

निर्णय दिनांक: 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रौही मोजा ग्राम भांगवा के खाता सं0 34/40 के खसरा सं0 362 की 2.162 है0, खसरा सं0 416 की 2.9840 है0 कुल 5.1460 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 407/6 हिस्सा एवं रोही अमरपूरा बारानी के खाता स0 18/24 के मुरबा नं0 78 के किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0नं0 79 के किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 96 के किला नं0 1/1 की 0.190 है0, किला नं0 1/2 की 0.038 है0, किला नं0 2/1 की 0.076 है0, किला नं0 2/2 की 0.152 है0, किला नं0 8 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 97 के किला नं0 3 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 6/1 की 0.164 है0, किला नं0 6/2 की 0.063 है0, किला नं0 7/1 की 0.051 है0, किला नं0 7/2 की 0.177 है0, किला नं0 8 की 0.253 है0, किला नं0 12/1 की 0.177 है0, किला नं0 12/2 की 0.051 है0, किला नं0 13/1 की 0.051 है0, किला नं0 13/2 की 0.177 है0 किला नं0 14 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 98 के किला नं0 1 ता 13 प्र[illegible] 99 के किला नं0 1, 10 प्रत्येक की 0.253 है0, कुल किता 75 की 17.30[illegible] बा[illegible] खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2.88[illegible] कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:37:39 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 को ऊपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता घड़सीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। ऊपर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते ऊपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुका है, जिसकी सोचने एवं समझने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 ऊपर वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेच करने पर तुला हुआ है। चूंकि ऊपर वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के नाते प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मदन पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा बारानी खाता सं0 18/24 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम भांगवा खाता सं0 34/40 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम भांगवा प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अमरपुरा बारानी सम्वत् 2056 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, मिकर द्वारा वारिसों बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भांगवा व अमरपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। प्रतिवादी सं0 1 को ऊपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता घड़सीराम से विरासतन प्राप्त हुई तथा वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति जमाबन्दी [illegible] ग्राम भांगवा प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अमरपुरा बारानी [illegible] प्रदर्शित करवाये जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना [illegible]बित है तथा प्रदर्श 5 सदस्य प्रमाण पत्र में धर्मपाल के एक पुत्र मदन होना तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ग्राम भांगवा के खाता सं0 34/40 के खसरा सं0 362 की 2.162 है0, खसरा सं0 416 की 2.9840 है0 कुल 5.1460 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 407/6 हिस्सा एवं रोही अमरपूरा बारानी के खाता स0 18/24 के मुरबा नं0 78 के किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 23 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0नं0 79 के किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 96 के किला नं0 1/1 की 0.190 है0, किला नं0 1/2 की 0.038 है0, किला नं0 2/1 की 0.076 है0, किला नं0 2/2 की 0.152 है0, किला नं0 8 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 97 के किला नं0 3 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 6/1 की 0.164 है0, किला नं0 6/2 की 0.063 है0, किला नं0 7/1 की 0.051 है0, किला नं0 7/2 की 0.177 है0, किला नं0 8 की 0.253 है0, किला नं0 12/1 की 0.177 है0, किला नं0 12/2 की 0.051 है0, किला नं0 13/1 की 0.051 है0, किला नं0 13/2 की 0.177 है0 किला नं0 14 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 98 के किला नं0 1 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 99 के किला नं0 1, 10 प्रत्येक की 0.253 है0, कुल किता 75 की 17.306 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2.8843 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। **उसमे वादी मदन एवं प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाये। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़